संख्या–2343 / 41–11–2 यो0 / 11

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग   लखनऊ दिनांक 16 दिसम्बर, 2011

विषय– केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद सुल्तानपुर में कालिकन धाम पर्यटक स्थल के विकास की योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या– 1067 / 6– 1– 1(413) / / 2011 दिनांक 24 अक्टूबर, 2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

(2)– उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–2012 में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद सुल्तानपुर में कालिकन धाम पर्यटक स्थल के विकास की योजना हेतु सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम द्वारा गठित योजना रू0–114.06 लाख के सापेक्ष परीक्षणोंपरान्त आंकलित लागत रू0–99.99 लाख धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0–91.24 लाख के सापेक्ष मात्र रू0–86.34 लाख धनराशि को दो किश्तों में स्वीकृत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0–43.17 लाख (रूपये तैंतालीस लाख सत्रह हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं :–

1– योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि भारत सरकार के स्वीकृति पत्र–5 पी0एन0सी0 (16) / 2011 दिनांक–28.06.2011 मे उल्लिखित शर्तो के अनुसार व्यय की जायेगी। भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि में अवशेष बची धनराशि रू0–4.90 लाख को भारत सरकार को वापस किया जायेगा।

2– योजना का क्रियान्वयन एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार योजनान्तर्गत कार्य मदों पर किया जायेगा।

3– उक्त धनराशि का आहरण / व्यय नियमानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय।

4– स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यो को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

Tandon - Senson

5– कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

6– यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

7– यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यो हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

8– यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति तो नही हो रही है।

9– उक्त स्वीकृत धनराशि में से प्रथम किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात द्वितीय किश्त की धनराशि आहरित कर व्यय की जायेगी।

10– योजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रशासनिक विभाग का होगा। परियोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कराया जायेगा।

11– योजना का अनुश्रवण शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार तथा त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3)– निर्माण एजेन्सी को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 व 6 में निहित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर एक अनुबन्ध पत्र भरना होगा जिसमें अनुबन्ध पत्र भरने की तिथि से 6 माह की अवधि से कार्य पूर्ण करने, कार्यो की गुणवत्ता बनाये रखने, अधोमानक सामग्री का उपयोग न करने तथा अन्य आवश्यक शर्तों का उल्लेख किया जायेगा। अनुबन्ध पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि अनुबन्ध की शर्तों का उलंघन किये जाने की दशा में निर्माण एजेन्सी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि को अर्थदण्ड के रूप में जब्त कर लिया जायेगा।

(4) उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–44 के लेखा शीर्षक–5452– पर्यटन– आयोजनागत– 80–सामान्य–104–संवर्धन तथा प्रचार–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित

योजनायें–0115–डेस्टिनेशन/सर्किट डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत पर्यटन स्थलों का विकास–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(5)– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–7–1440/दस–2011 दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
सचिव

संख्या–2343 (1)/41–2011 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।

2– सचिव, पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई–दिल्ली।

3– मण्डलायुक्त, फैजाबाद/जिलाधिकारी, सुल्तानपुर।

4– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5– निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ।

6– वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।

7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–7/नियोजन अनुभाग–4

8– क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, फैजाबाद।

9– श्री राजा राम, वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब–साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।

10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह) 16.12.11
सचिव